लोक जागृति संस्थान
ग्राम – पहुँती, पो0 – सया, जिला – अम्बेडकरनगर

H. R. Manual *with* Gender Policy

लोक जागृति संस्थान के मूल्य उददेश्यः–

- शोषण रहित स्वस्थ शिक्षित समाज की स्थापना
- स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण
- जन संगठन निर्माण
- सरकारी परियोजनाओं एवं कार्यकमों के प्रति लोक जागरण
- लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना

नियमः–

- सर्वधर्म प्रार्थना प्रतिदिन
- नियमित मासिक कार्य नियोजन एवं समीक्षा
- सेवा नियमावली
- भ्रमण पंजिका
- कार्यकर्ताओं में समानता
- कार्यकमों में सभी की भागीदारी

मूल्य एवं सिद्धान्तः–

- लैंगिक समानता
- पारदर्शिता
- लक्षित समूह के मुद्दों के प्रति संस्था की प्रतिबद्धता

संस्था में मानव संसाधन नियमावली (Human Resource Manual) को समझने व समस्या निस्तारण के लिए निम्न 05 स्तर होंगेः–

1. संगठनात्मक व्यवस्था।
2. मासिक स्टाफ बैठक।
3. कोर समूह।
4. जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति।
5. यौन उत्पीडन समिति।

आरती तिवारी
महासचिव
लोक जागृति संस्थान
ग्राम पहुँती पोस्ट-सया
जिला-अम्बेडकरनगर (उ०प्र०)

भाग–1

1 संगठनात्मक ढ़ॉचा :–

1) संस्था में जाति–पाति व लिंग का भेदभाव नहीं होगा।
2) संस्था में रणनीति निर्धारण, मूल्यांकन व विश्लेषण के सभी स्तर पर महिलाओं की 1/2 भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
3) विभिन्न प्रशिक्षणों में महिला–पुरुष के लिए समान अवसर होंगे।
4) संस्था के नियमों को बनाने में महिला भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
5) कार्यदल के साक्षात्कार पैनल में महिला भागीदारी कम से कम 1/3 होगी।
6) संस्था में कार्य का बटवारा क्षमता के आधार पर होगा न कि लिंग के आधार पर लेकिन जिन कार्यकर्ताओं में क्षमता का अभाव होगा उन्हे क्षमता विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।
7) संस्था के किसी भी कार्यकत्री बहन के साथ सामाजिक, शारीरिक या भावनात्मक शोषण अक्षम्य होगा, जिसके लिए वैधानिक व निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।
8) कार्यकर्ता की नियुक्तिः– परियोजना की आवश्यकतानुसार विभिन्न पदो के लिये आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि को साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा चयन समिति में संस्था प्रमुख परियोजना समन्वयक एवं एक वरिष्ठ महिला (जो संस्था के बाहर की भी हो सकती है) होगे।

2– अवकाश नियम :– संस्था में प्रतिवर्ष अवकाश के नियम निम्नवत होंगे–

क्रम	प्रकार	अवधि
1	विशेष अधिकृत अवकाश (सामान्य)	15 दिन प्रतिवर्ष
2	आकस्मिक अवकाश	10 दिन प्रतिवर्ष
3	मातृत्व अवकाश	45–90 दिन प्रतिवर्ष
4	पितृत्व अवकाश	10–12 दिन प्रतिवर्ष
5	महिला नसबन्दी	15 दिन एक बार
6	पुरुष नसबन्दी	07 दिन एक बार
7	गर्भपात	07 दिन प्रतिवर्ष
8	स्वतः गर्भपात	10 दिन प्रतिवर्ष
9	कापर टी	01 दिन प्रतिवर्ष
10	चिकित्सा अवकाश	07 दिन प्रतिवर्ष
11	आधे दिन का अवकाश	01 दिन प्रति माह
12	विना वेतन का अवकाश	45 दिन प्रतिवर्ष

नोट– ये सभी अवकाश संस्था में नियुक्ति के 6 माह बाद ही लागू होंगे तथा इन अवकाशों को लेने के निम्न तरीके होंगे।

1. **विशेष अधिकृत अवकाश (सामान्य):–** सभी स्थाई कार्यकर्ताओं को वर्ष में 15 दिन का विशेष अधिकृत अवकाश दिया जायेगा। अवकाश लेने के कम से कम 03 दिन

आरती त्रिपाठी
महासचिव
लोक जागृति संस्थान
ग्राम पहुँती पोस्ट-सला
जिला-अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)

पूर्व निर्धारित फार्म पर संस्था के सम्बिन्धित प्राधिकारी से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। इसके निम्न तरीके होंगे–

- ✓ अवकाश के दिनों में अपने कार्य की आवश्यक जिम्मेदारी अन्य साथी कार्यकर्ता को देना आवश्यक होगा।
- ✓ अवकाश के मध्य पड़ने वाली छुट्टियों को भी अवकाश में गिना जायेगा।
- ✓ विशेष अधिकृत अवकाश एक साथ अधिकतम 05 दिनों की ली जा सकती है।
- ✓ 06 माह तक 10 दिन का विशेष अधिकृत अवकाश लिया जा सकता है।
- ✓ मूल्यांकन, प्रशिक्षण व गॉधी जयन्ती पर कोई अवकाश मान्य नहीं होगा।

2. **आकस्मिक अवकाशः**– सभी स्थाई कार्यकर्ताओं द्वारा वर्ष में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकेगा। अवकाश लेने के पूर्व संस्था के सम्बिन्धित प्राधिकारी को सूचित कराना आवश्यक होगा। कार्य पर वापस आने पर निर्धारित फार्म भरकर स्वीकृत कराना होगा। आकस्मिक अवकाश एक साथ अधिकतम 03 दिनों की ली जा सकती।

3. **मातृत्व अवकाशः**– सभी महिला कार्यकर्ताओं को बच्चा पैदा होने या नवजात को गोद लेने पर 1.5 माह से 03 माह तक का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा। यह अवकाश 03 वर्ष में एक बार ही दिया जायेगा।

4. **पितृत्व अवकाश**– सभी पुरुष कार्यकर्ताओं को उसकी पत्नी के बच्चा पैदा होने पर 12 से 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा। यह अवकाश कार्यकर्ता 06 माह की अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है।

5. **चिकित्सा अवकाश**– सभी स्थाई पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं के बीमार होने की अवस्था में अधिकतम 07 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जायेगा। इसके लिए योग्य चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

6. **आधे दिन का अवकाश**– यह अवकाश माह में केवल एक बार लिया जा सकेगा, जिसे वर्ष मे दिये जाने वाले सात दिन के आकस्मिक अवकाश से घट जायेगा।

7. **विना वेतन का अवकाश**– यह अवकाश सभी प्रकार के अवकाशों के समसप्त होने पर विशेष परिस्थिति में ही लिया जा सकेगा। विना वेतन का अवकाश अधिकतम 45 दिन का होगा, इससे अधिक की स्थिति में कार्यकर्ता को त्यागपत्र देना होगा। रिक्त होने की स्थिति में कार्यकर्ता भविष्य में पुनः उसी पद के लिए आवेदन दे सकता है।

8. **सार्वजनिक अवकाश**– सभी कार्यकर्ता प्रत्येक रविवार व घोषित त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश पर रहेगें। यह सार्वजनिक अवकाश सभी धर्मों, क्षेत्रों व वातावरण को ध्यान में रख कर हर वर्ष संस्था द्वारा तय किया जायेगा।

आरती त्रिपाठी
महासचिव
लोक जागृति संस्थान
ग्राम पहुँती पोस्ट-सया
जिला अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)

कम	अवकाश का नाम	दिन
1	मकर संक्रांति	1
2	गणतंत्र दिवस	1
3	होली	2
4	रामनवमी	1
5	रक्षावंधन	1
6	ईद	1
7	विजयदश्मी	1
8	दीपावली	1
9	बड़ा दिन	1
10	स्वतंत्रता दिवस	1
11	गांधी जयंती	1
12	अम्बेडकर जयंती	1
13	बकरीद	1
14	महा शिवरात्रि	1
15	कृष्ण जन्माष्टमी	1

नोटः– गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती के दिन सभी कार्यकर्ताओं को कार्यालय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

9. **अवकाश की स्वीकृतिः–** कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अवकाशों की स्वीकृति के लिए संस्था के एक वरिष्ठ पुरूष एवं एक वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता के द्वारा अवकाश की आवश्यकता एवं परियोजनाओं के काम को देखते हुये प्रदान की जायेगी। मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की स्वीकृति संस्था प्रमुख के द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी।

3. **कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएं–**
   - ✓ आवश्यकतानुसार महिला कार्यकर्ताओं को रात्रि यात्रा के दौरान पुरुष सहयोगी का साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
   - ✓ कार्यकर्ताओं के यात्रा पर जाने पर संस्था के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आरक्षण व सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी। यात्रा वापसी के 02 दिन के भीतर रिर्पोट व हिसाब देना आवश्यक होगा।

4. **कार्यालय पर सुविधा–**
   - ✓ पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था होगी।
   - ✓ आवासीय प्रशिक्षण के दौरान पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं के ठहरने हेतु अलग–अलग आवासीय व्यवस्था होगी।

भारती तिवारी
सचिव

- ✓ प्रशिक्षण व मीटिंग के दौरान महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं के बैठने हेतु समान व्यवस्था होगी।
- ✓ संस्था में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति में महिला कार्यकर्ताओं को सहयोगी वातावरण व प्राथमिकता दी जायेगी।

5. <u>कार्यकर्ताओं के लिए अवसर–</u>

- ✓ कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के समय संस्था के नियमों के अनुसार विभिन्न पदों पर 50 प्रतिशत महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जायेगी।
- ✓ सभी महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं का समय–समय पर जेण्डर संवेदनशीलता व क्षमता वृद्धि हेतु अभिमुखीकरण किया जायेगा।
- ✓ संस्था में कार्यरत योग्य व मेहनती महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति दी जायेगी।
- ✓ प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता व शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्य दिया जायेगा न कि महिला व पुरुष के आधार पर।
- ✓ समान पदों पर महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई भेदभाव नही किया जायेगा।
- ✓ संस्था के संसाधन यथा फोन, कम्प्यूटर, इंटरनेट मोटरसाईकिल आदि का उपयोग समान रूप से सभी महिला पुरूष कार्यकर्ता कर सकते है।

6. <u>अन्य अनुशासनात्मक व्यवहार व कर्तव्य–</u>

- ✓ संस्था से सम्बिन्धित कोई भी गोपनीय सूचना संस्था प्रमुख की जानकारी के बगैर बाहरी व्यक्ति/संस्था को देना गलत आचरण माना जायेगा।
- ✓ सभी कार्यकर्ताओं को संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित समयानुसार कार्यालय/क्षेत्र मे आना–जाना होगा। महिला कार्यकर्ताओं को इस निर्धारित समय में 30 मिनट की छूट होगी।
- ✓ किसी कार्यकर्ता को संस्था स्वयं छोड़ने या संस्था द्वारा हटाने पर 01 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा अन्यथा मानदेय कटौती होगी।
- ✓ सभी कार्यकर्ताओं को धूम्रपान निषेध का पालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ कोई भी कार्यकर्ता संस्था/दाता संस्था में अपनी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। परियोजना/अनुदान समाप्त होने पर सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जायेंगी।

भाग–2

1. <u>जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति–</u>

<u>1.1– संस्थागत स्तर पर समिति की भूमिका–</u>

आरती त्रिपाठी
महासचिव
लोक जागृति संस्थान
ग्राम पहँती पोस्ट-सथा

- ✓ यह समिति संस्थागत स्तर पर_जेण्डर समानता प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नशील रहेगी।
- ✓ यह समिति संस्था में समय–समय पर जेण्डर समानता हेतु सुंझााव व कदम उठायेगी।
- ✓ यह समिति संस्था की सहयोगी संगठनों में भी जेण्डर समानता प्रोत्साहन हेतु पहल करेगी।
- ✓ यह समिति संस्था में किसी नई गतिविधि या निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया भी देगी।

1.2– समिति का निर्माण–

- ➢ संस्था का कोर ग्रुप समिति के सदस्यों को आमंत्रित करेगा।
- ➢ कोर ग्रुप इस प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष रखेगा।
- ➢ बोर्ड समिति को अधिकृत करेगा।
- ➢ इस समिति में कुल 05 सदस्य होगें, जिसमें कम से कम 03 महिलाएं अवश्य होंगी।
- ➢ समिति का सदस्य होने के लिए कम से कम 03 वर्ष का संस्थागत अनुभव व जेण्डर पर समझ हो।
- ➢ संस्था के बाहर के भी महिला व पुरुष इस समिति के सदस्य हो सकते है बसर्ते उनकी जेण्डर मुद्दे पर विशेषज्ञता हो।
- ➢ समिति का कार्यकाल कम से कम 02 वर्ष का होगा।

1.3– कार्यक्रम स्तर पर समिति की भूमिका–

यह समिति संस्था में निम्न स्तरों पर सम्भावित भेदभाव एवं जेण्डर समानता हेतु निगरानी, पहल व सुझाव देगी।

i. नई परियोजनाओं में अधिकार, कर्तव्य व उत्तरदायित्व निर्धारण में।
ii. कार्यकर्ताओं की चयन प्रक्रिया व नियुक्ति में।
iii. कार्यकर्ताओं के क्षमता विकास में।
iv. वेतन व बजट आवंटन में।
v. स्वास्थ्य व अन्य सहायक सेवाओं में।
vi. अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध निर्माण में।
vii. रेल यात्रा के दौरान आरक्षण
viii. साईकिल सिखाना
ix. साईकिल के लिये विना व्याज के ऋण देना
x. जेण्डर प्रशिक्षण
xi. मदद मॉगने पर सम्बंधित कार्यकर्ता की निजी जिन्दगी में सपोर्ट व काउन्सलिंग करना।

आरती त्रिपाठी

1.4– समिति की बैठक–

जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह पर होगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष द्वारा कभी भी आकस्मिक बैठक बुलाई जा सकती है।

1.5– समिति की कार्यविधि–

यह समिति संस्था के बोर्ड को अपनी संस्तुति/बैठक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके लिए संस्था की बोर्ड बैठक में समिति का एक सदस्य आमंत्रित किया जायेगा।

2. यौन उत्पीडन समिति (CASH) –

संस्था में एक यौन उत्पीडन समिति गठित होगी तथा जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति के ही सदस्य इस समिति के भी सदस्य हो सकते हैं।

2.1– समिति की कार्य–

- यौन उत्पीडन के मामलों में हस्तक्षेप करना।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के मामलों की सुनवाई व प्रभावी सुझाव देना।
- आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित पक्ष की समस्याओं का समाधान करना तथा उचित मुआवजा व संभावित घटनाओं को रोकने हेतु सशक्त रणनीति तय व लागू कराना।

महिला कार्यकर्ताओं को संस्था के साथ जोड़ने के लिये नीति

- नेतृत्वकारी महिलाओं के साथ होने वाली बैठकों मे संस्था के कार्यों एवं इसका गांव के विकास में महत्व पर चर्चा करेंगें।
- उनके बीच चर्चा करेगे कि आपके अपने बीच का कोई हो जो इस काम को सीखे और उन्हे समझाने का प्रयास करेंगें कि यदि आपके गांव मे ही कोई ऐसी महिला या लड़की हो जो लोगों की मदद कर सके और उसे इसके बदले मे कुछ आर्थिक सहयोग दिया जायेगा।
- दलित एवं मुस्लिम समुदाय की तलाक शुदा एकल महिला विघवा महिलाओं को जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता हो लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम जूनियर हाई स्कूल हो को काम करने के लिये प्राथमिकता देंगे।
- महिला कार्यकर्ता को उसे अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिये उसके हाई स्कूल की परीक्षा शुल्क संस्था के द्वारा दिया जायेगा तथा विभिन्न प्रशिक्षणों में प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षित करके उसकी क्षमता वृद्धि की जायेगी।

आरती त्रिपाठी
महासचिव
लोक जागृति संस्थान
ग्राम पहुँती पोस्ट-सवा
जिला-अम्बेडकरनगर (उ०प्र०)

- यदि महिला के पास एक साल तक का बच्चा होगा तो प्रशिक्षणों में उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिये अपने परिवार के किसी सहयोगी को लाने की अनुमति होगी।

आरती त्रिपाठी
महासचिव
लोक जागृति संस्थान
ग्राम पहुँती पोस्ट-सया
जिला-अम्बेडकरनगर (उ०प्र०)

लोक जागृति संस्थान
ग्राम–पहुॅती पो0–सया
जिला–अम्बेडकरनगर उ0प्र0 224152